

## Seventeenth Loksabha

an&gt;

**14.57 hrs**

**Title: Amendments made by Rajya Sabha to the Constitution (Scheduled Castes And Scheduled Tribes) Orders (Second) Amendment Bill, 2022.**

**जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा):** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव ह करता हूँ:-

“कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:-

### पहली अनुसूची

1. पृष्ठ 3, पंक्ति 5, में “संत रविदास नगर” शब्दों के स्थान पर “भदोही” शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

### दूसरी अनुसूची

2. पृष्ठ 4, पंक्ति 5, में “संत रविदास नगर” शब्दों के स्थान पर “भदोही” शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।”

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:-

### पहली अनुसूची

1. पृष्ठ 3, पंक्ति 5, में “संत रविदास नगर” शब्दों के स्थान पर “भदोही” शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

### दूसरी अनुसूची

2. पृष्ठ 4, पंक्ति 5, में “संत रविदास नगर” शब्दों के स्थान पर “भदोही” शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष:** अब हम राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करेंगे। अब मैं राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 1 और 2 को एक साथ सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

“

### पहली अनुसूची

1. पृष्ठ 3, पंक्ति 5, में “संत रविदास नगर” शब्दों के स्थान पर “भदोही” शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

### दूसरी अनुसूची

2. पृष्ठ 4, पंक्ति 5, में “संत रविदास नगर” शब्दों के स्थान पर “भदोही” शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष:** अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि लोक सभा द्वारा यथा पारित, संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन पर यह सभा सहमत है।

**श्री अर्जुन मुंडा:** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन पर सभा सहमत है।”

**15.00 hrs**

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सभा सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---